बाबू नूरुल हसन खान

बनाम

राम प्रसाद सिंह और अन्य

18 अक्टूबर, 1979

[एन.एल. अंतवालिया और ए.डी. कौशल, जे.जे.]

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 धाराएँ 11, 12, 13(1) & 13(2) — दायर

अपीलार्थी और अन्य लोग एक गाँव के जमींदार थे जिसमें 6 मार्च, 1948 को प्रतिवादी और अन्य लोगों को ठेका पर कुछ भूमि दी गई थी, जमींदारी को 30 जून, 1952 को निहित किया था। यू. पी. होल्डिंग्स समेकन अधिनियम के अधीन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों के बीच विवाद उत्पन्न हुए। अपीलार्थियों और अन्य लोगों ने दावा किया कि विवादित भूखंड जो उनके अनन्य सर और खुद्कास्त में हैं, उन्हें जमींदारी के उन्मूलन पर राज्य द्वारा उनके साथ निपटाया गया माना जाएगा और उनका नाम उसके भूमिदारों के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर प्रत्यर्थी और अन्य लोगों ने दावा किया कि वे विवादित भूखंडों के सरदार बन गए थे और जमींदारों के दावों का विरोध किया। इस विवाद ने मालिकाना हक के सवाल को जन्म दिया।

सिविल न्यायाधीश ने मामले को निर्णय के लिए अधिनियम के तहत नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा। मध्यस्थ ने प्रत्यर्थियों को विचाराधीन भूखंड का सरदार ठहराया। अपीलकर्ताओं ने सिविल न्यायाधीश के समक्ष अधिनिर्णय के खिलाफ आपत्तियां दायर कीं, जिन्होंने आपत्तियों को स्वीकार कर लिया, अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया और अधिनिर्णय को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। अपीलों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास ले जाया गया जो सिविल न्यायाधीश से असहमत थे लेकिन उन्होंने रिमांड के आदेश की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग पुनरीक्षण दायर किए, प्रत्यर्थी के पुनरीक्षण को स्वीकार किया गया और अपीलार्थियों के पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया। एकमात्र तर्क बिंदु था कि क्या प्रत्यर्थी और अन्य लोगों को विचाराधीन भूखंडों के सरदार के रूप में उचित रूप से माना गया है या क्या पूर्व-जमींदार भूखंडों के भूमिदार बन गए थे। ।

अपील को खारिज करते हुए-,

अभिनिर्धारित किया: यह कि किसी संपदा के ठेकेदार के पास निहित होने की तारीख से ऐसी संपदा में किसी भी भूमि को रखने या रखने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। धारा 13 की उपधारा (1) में यही प्रावधान किया गया है। लेकिन यह अपवादों के अधीन है; अर्थात. एक, धारा 12 में निहित प्रावधान और दूसरा, धारा 13 की उपधारा (2) में शामिल। पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि निहितार्थ की तिथि पर ठेकेदारों

के कब्जे वाली भूमि या तो धारा 12(1) या धारा 13(2)(ए) के अंतर्गत आती थी। माना जाता है कि भूमि पट्टादाता अर्थात् जमींदारों की सर या खुदकाश्त थी। यदि ऐसी भूमि 1 मई, 1950 को उसके ठेकेदार के रूप में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत खेती में थी और यदि ऐसे ठेकेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि की खेती की दृष्टि से ठेका बनाया गया था, तो अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (I) के तहत गैर-अस्थिर खंड के घटित होने के कारण ठेकेदार को भूमि का वंशानुगत किरायेदार माना जाएगा और वह वंशानुगत दरों पर किराए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, यदि भूमि ठेकेदार की निजी खेती में थी, केवल ठेकेदार के रूप में जिसे अन्य किरायेदारों से किराया इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया था और संयोग से पट्टेदार की सर या खुदकाश्त भूमि पर खेती करने की अनुमति दी गई थी, तो वह अधिनियम की धारा 13(2)(ए) के अनुसार मात्र असामी होगा ठेका दस्तावेज़ पर विचार करने पर मध्यस्थ ने पाया कि ठेका ठेकेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करने के उद्देश्य से बनाया गया था। मध्यस्थ की व्याख्या ऐसी नहीं थी कि वह सिविल जज को यह राय देने में सक्षम कर सके कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कानून की कोई त्रुटि थी। दूसरी ओर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यस्थ द्वारा दी गई व्याख्या सही थी। दो प्रकार के मामलों के बीच एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट विभाजन रेखा है, एक अधिनियम की धारा 12(1) के अंतर्गत आता है और दूसरा धारा 13(2)(ए) के दायरे में आता है। उच्च न्यायालय का विचार सही

था कि मध्यस्थ का निर्णय हस्तक्षेप के योग्य नहीं था। [1980 जी-एच। 981 ए-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1951/1969

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सिविल पुनरीक्षण संख्या 506-510 और 548-552/65 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 7-1-69 से उत्पन्न विशेष अनुमति द्वारा अपील।

जे. पी. गोयल और एस. के. जैन, अपीलार्थी की ओर से।

आर. के. गर्ग, वी. जे. फ्रांसिस और डी. के. गर्ग, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

अंतवालिया, न्यायाधिपति.-

यह दस संबंधित सिविल पुनरीक्षणों का निपटारा करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है। नूरुल हसन खान और अन्य उस गांव के जमींदार थे, जिसमें 6 मार्च, 1948 को भगवती सिंह, राम प्रसाद सिंह और अन्य को ठेका में कुछ जमीन दी गई थी। 30 जून, 1952 को जमींदारी को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत निहित किया गया, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी

अधिनियम के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पूर्व जमींदारों और पूर्व ठेकेदारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए। जब कई भूखंडों से संबंधित विवादित भूमि से संबंधित जोत समेकन अधिनियम की धारा 11 के तहत किरायेदारी धारकों की सूची में प्रविष्टियां प्रकाशित की गईं, तो दोनों पक्षों द्वारा आपत्तियां दायर की गईं। नूरुअल हसन खान और अन्य ने दावा किया कि विवादित भूखंड उनके विशेष सर और खुदकाश्त होने के कारण जमींदारी उन्मूलन पर राज्य द्वारा उनके साथ समझौता किया गया माना जाएगा और उनके नाम भूमिदार के रूप में दर्ज किए जाने चाहिए। दूसरी ओर भगवती सिंह और अन्य ने दावा किया कि वे विवादित भूखंडों के सरदार बन गए हैं और उन्होंने पूर्व जमींदारों के दावे का विरोध किया। चकबंदी अधिकारी ने चकबंदी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार मामले को आज़मगढ़ के सिविल जज के पास भेज दिया। सिविल न्यायाधीश ने मामले को निर्णय के लिए अधिनियम के तहत नियुक्त मध्यस्थ के पास भेज दिया क्योंकि विवाद ने स्वामित्व के प्रश्न को जन्म दिया था। श्री कैलाश चंद्र, एक सहायक कलेक्टर, को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके सामने प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने पर उन्होंने पूर्व जमींदारों के दावे को खारिज कर दिया और मामले का फैसला पूर्व ठेकेदारों के पक्ष में किया। भगवती सिंह और अन्य को विचाराधीन भूखंडों का सरदार माना गया। नूरुल हसन और अन्य ने इस पुरस्कार पर आपत्तियां दायर कीं सिविल जज. उन्होंने आपत्तियों को इस

आधार पर स्वीकार कर लिया कि प्रथम दृष्टया पुरस्कार की अवैधता स्पष्ट थी क्योंकि मध्यस्थ ने पार्टियों के अधिकारों का निर्धारण करने में सही कानून लागू नहीं किया था। उन्होंने पुरस्कार को अलग रखा और अपने निर्णय के आलोक में पुनर्विचार के लिए इसे मध्यस्थ को वापस भेज दिया।

विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास अपीलें की गईं, जिन्होंने दिनांक 8-12-1962 के आदेश द्वारा मुख्य प्रश्न पर विद्वान सिविल न्यायाधीश से असहमति जताई, लेकिन इस आधार पर उनके रिमांड के आदेश की पुष्टि की कि पुरस्कार में कई प्रश्न अनिर्धारित छोड़ दिए गए थे। दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग पुनरीक्षण दायर किए। उच्च न्यायालय ने पूर्व ठेकेदारों के पुनरीक्षण की अनुमति दे दी है और पूर्व जमींदारों के संशोधनों को खारिज कर दिया है। इसलिए यह अपील।

एकमात्र मुद्दा जो हमारे सामने तर्क दिया गया और उत्तेजित किया गया वह यह था कि क्या भगवती सिंह और अन्य को उचित रूप से प्रश्न में भूखंडों के सरदार माना गया है या क्या पूर्व जमींदार भूमिदार बन गए हैं। इस प्रश्न का निर्धारण अधिनियम की धारा 12 और 13 में निहित कानून के प्रावधानों की सही समझ पर निर्भर करता है। हम दोनों अनुभागों के प्रासंगिक भागों को पढ़ेंगे। वे इस प्रकार हैं:-

"12. ठेकेदारों को कुछ विशिष्ट स्थितियों में वंशानुगत किरायेदार होना चाहिए। - (1) जहां कोई भूमि 1 मई, 1950

को किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संवर्धना में थी, उसके ठेकेदार के रूप में और ऐसे ठेकेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि की खेती करने के लिए बनाया गया था, तो किसी भी कानून, दस्तावेज या न्यायालय के आदेश में कुछ भी होने के बावजूद, वह उसका वंशानुगत किरायेदार माना जाएगा, और जब उसे उक्त तिथि के बाद भूमि से निष्कासित कर दिया गया है, तो वंशानुगत दरों पर किराया देने के लिए उत्तरदायी वंशानुगत किरायेदार के रूप में कब्जा हासिल करने के लिए।

13. एक ठेकेदार के कब्जे में संपत्ति- (1) इस अधिनियम की धारा 12 और उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन किसी संपत्ति या उसमें हिस्से के ठेकेदार का, निहित होने की तारीख से, ऐसी संपत्ति में ऐसी किसी भूमि पर कोई अधिकार या कब्जा होना समाप्त हो जाएगा।

(2) जहां ऐसी कोई भूमि निजी खेती में थी- ठीक पूर्ववर्ती तिथि पर ठेकेदार की नियुक्ति निहित करने की तिथि, वही होगी

(क) यदि ठेका दिए जाने की तिथि पर यह पट्टेदार का सर या खुदकाश्त था, तो धारा 18 के प्रयोजनों के लिए निहित

होने की तारीख से ठीक पहले की तारीख पर पट्टेदार का सर या खुदकाश्त माना जाएगा और ठेकेदार, साथ में होगा निहित होने की तारीख से प्रभावी, उसके असामी निहित होने की तारीख से ठीक पहले की तारीख पर लागू वंशानुगत दरों पर किराया देने के लिए उत्तरदायी होंगे और ठेके की शेष अवधि के लिए या पांच साल की अवधि के लिए भूमि को रखने के हकदार होंगे। निहित करने की तारीख से, जो भी कम हो;

(ख) यदि ठेका के अनुदान की तिथि को यह पट्टेदार का सर या खुदकश्त नहीं था और-

(i) इसका क्षेत्र तीस एकड़ से अधिक नहीं है, धारा 19 के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने इसे एक वंशानुगत किरायेदार के रूप में रखा है, जो किराया देने के लिए उत्तरदायी है, जो कि उस तारीख से ठीक पहले निहित होने की तारीख पर लागू वंशानुगत दरों पर गणना किए गए किराए के बराबर होगा।

(ii) इसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक है, धारा 19 के प्रयोजनों के लिए तीस एकड़ की सीमा तक इसे पूर्वोक्त अनुसार वंशानुगत किरायेदार के रूप में माना जाएगा और

शेष को खाली भूमि माना जाएगा और धारा 209 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार वहां से बेदखल करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

पूर्वोक्त प्रावधानों से यह देखा जा सकता है कि किसी संपत्ति के ठेकेदार के पास निहित होने की तारीख से ऐसी संपत्ति में किसी भी भूमि को रखने या रखने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 13 की उपधारा (1) में यही प्रावधान किया गया है, लेकिन यह दो अपवादों के अधीन है; अर्थात, धारा 12 में निहित एक प्रावधान और दूसरा धारा 13 की उपधारा (2) में शामिल है। पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि निहितार्थ की तिथि पर ठेकेदारों के कब्जे वाली भूमि या तो धारा 12(1) या धारा 13(2} (ए) के अंतर्गत आती थी। हम इस मामले में धारा 13(2)(बी) से चिंतित नहीं हैं क्योंकि माना जाता है कि भूमि पट्टादाता अर्थात् जमींदारों की सर या खुदकाश्त थी। यदि ऐसी भूमि 1 मई 1950 को उसके ठेकेदार के रूप में किसी व्यक्ति की निजी खेती में थी और यदि ठेका ऐसे ठेकेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करने की दृष्टि से बनाया गया था फिर, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में होने वाले गैर-अस्थिर खंड के कारण ठेकेदार को भूमि का वंशानुगत किरायेदार माना जाएगा और वह वंशानुगत दरों पर किराए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। हालाँकि, यदि भूमि ठेकेदार की व्यक्तिगत खेती में थी, तो ठेकेदार को अन्य किरायेदारों से किराया इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया था और

संयोगवश पट्टेदार की सर या खुदकाश्त भूमि पर खेती करने की अनुमति दी गई थी, तो वह धारा 13 के अनुसार केवल असामी होगा (2)(ए) अधिनियम के. ठेका दस्तावेज़ पर विचार करने पर मध्यस्थ ने पाया कि ठेका ठेकेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करने के उद्देश्य से बनाया गया था। मध्यस्थ की व्याख्या ऐसी नहीं थी कि वह सिविल जज को यह राय देने में सक्षम कर सके कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कानून की कोई त्रुटि थी। दूसरी ओर हमें यह प्रतीत होता है कि मध्यस्थ ने जो व्याख्या की वह सही थी। दो प्रकार के मामलों के बीच एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट विभाजन रेखा है एक अधिनियम की धारा 12(1) के अंतर्गत आता है और दूसरा धारा 13(2)(ए) के दायरे में आता है। हमारी राय में उच्च न्यायालय का यह विचार सही था कि मध्यस्थ का फैसला हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

ऊपर बताए गए कारणों से, हम इस अपील को खारिज करते हैं लेकिन परिस्थितियाँ के आधार पर लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

एनके. ए.

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****